राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511280, 0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

पत्र. क्र. / NHM / HR / 2019 / NS-1306/2586 नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 20/11/2019

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी / Community Health Officer) के पद हेतु विज्ञापन

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से ऐसे इच्छुक एवं उत्साही अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है, जो समुदाय को अपने घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए "6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस में आवेदन करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल है। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु 'सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (मिड लेवल हेल्थ प्रोवाईडर)" के रूप में सेवाऐं देंगे एवं अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. एवं मितानिन की टीम का भी नेतृत्व करेंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में काउंसिलिंग के माध्यम से संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जायेगी।

चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं –

- प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10000 रू. प्रतिमाह मानदेय आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की फीस, फिल्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्च दिया जाएगा।
- मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रतिमाह 16,500 रू. वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य–प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम 15000 रू. तक दी जायेगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

अनिवार्य योग्यता :–

- अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। विज्ञापित संभागवार पदों हेतु संबंधित संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग कोर्स 1. बी.एससी. 2. पोस्टबेसिक 3. जी.एन.एम. में उत्तीर्ण हो।
- अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष)

वांछनीय योग्यता :–

- अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान हो।

क्रमशः 02

नियम एवं शर्तें :–

- प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने की परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना होगा।
- काउंसिलिंग में प्रशिक्षण स्थल चयन करने उपरांत, अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा IGNOU को दी जाने वाली शुल्क राशि रू. 15000/– संबंधित अभ्यर्थी से ली जायेगी उक्त शुल्क की राशि न दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी। साथ ही इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **उक्त कोर्स में चयन हेतु प्रवेंश परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।**
- समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा।

वर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम पूर्ण करने उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) की भर्ती संभाग स्तर पर की जावेगी, जिसमें आरक्षण का रोस्टर भी संभाग स्तर का ही लागू होगा।
- भर्ती किये जाने वाले पदों की संभागवार/आरक्षण रोस्टरवार तालिका निम्नानुसार है :–

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस हेतु सीटों का विवरण					
संभाग	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
रायपुर	33	10	9	8	60
बिलासपुर	53	30	20	17	120
दुर्ग	34	10	7	9	60
बस्तर	29	121	5	25	180
सरगुजा	47	99	9	25	180
कुल योग –					600

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पछिड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2019'' में जारी अरक्षण नियम के संबंध में शासन को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने पंर उक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः 03